Court No. - 35

Case :- CRIMINAL MISC. BAIL APPLICATION No. - 32454 of 2024

Applicant :- Manju Devi
Opposite Party :- State of U.P.
Counsel for Applicant :- Ravi Kant,Vatsala
Counsel for Opposite Party :- G.A.

Hon'ble Shekhar Kumar Yadav,J.

1—प्रश्नगत मामले के तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 2—7—2024 को वादी मुकदमा बृजेश पाण्डेय, उपनिरीक्षक जो चौकी प्रभारी, पोरा, थाना सिकन्दराराऊ, जनपद हाथरस है, उनके द्वारा प्रश्नगत प्राथमिकी थाना सिकन्दराराऊ, जिला हाथरस में इस आशय की पंजीकृत करायी गयी कि दिनांक 2—7—2024 को थाना सिकन्दराराऊ में ग्राम फुलरई मुगलगढी के मध्य जी0 टी0 रोड के पास जगत गुरू साकार विश्वहरि भोले बाबा के सत्संग कार्यक्रम का आयोजन प्रस्तावित था, जिसके आयोजनकर्ता मुख्य सेवादार देवप्रकाश मधुकर पुत्र राम सिंह एवं अन्य सेवादार सहयोगी थे। आयोजनकर्ता द्वारा उक्त संगठन के पूर्ववर्ती कार्यक्रमों में जुटने वाली लाखों की भीड की स्थिति को छिपाते हुए इस कार्यक्रम में करीब 80,000 हजार की भीड (श्रद्वालु) इक्ट्ठा होने की अनुमति मांगी गयी, जिसके द्वष्टिगत पुलिस प्रशासन द्वारा एकत्र होने वाली भीड की सुरक्षा, शान्ति व्यवस्था एवं यातायात प्रबन्धन किया गया। किन्तु उक्त कार्यक्रम में सम्मिलित होने हेतु प्रदेश के विभिन्न जनपदों एवं निकटवर्ती प्रदेशों से दिनांक 2—7—2024 को लगभग ढाई लाख से अधिक श्रद्वालुओं की भीड एकत्र हो गयी जिसके कारण आयोजक द्वारा अनुमति की शर्तो का पालनन किये जाने के फलस्वरूप जी0 टी0 रोड पर यातायात अवरूद्व हो गया, जिसे डयूटी पर नियुक्त पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा सामान्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा था, तभी समय करीब 14.00

बजे कार्यक्रम के मुख्य प्रवचनकर्ता सूरजपाल उर्फ भोले बाबा, प्रवचन के उपरान्त अपनी गाडी में सवार होकर कार्यक्रम स्थल से निकले। श्रद्वालुजन महिला, पुरूष व बच्चों द्वारा उनकी गाडी गुजरने के मार्ग से धूल समेटना शुरू कर दिया गया। कार्यक्रम स्थल से निकल रही लाखों श्रद्वालुओं की बेतहाशा भीड के दबाव के कारण नीचे बैठे झुके श्रद्वालु दबने कुचलने लगे, चीख पुकार मच गयी। जी0 टी0 रोड के दूसरी ओर लगभग तीन मीटर गहरे खेतों में भरे पानी एवं कीचड में बेतहाशा दबती कुचलती भागती भीड को आयोजन समिति एवं सेवादारों द्वारा अपने हाथों में लिए डण्डों से जबरदस्ती रोक दिया गया, जिसके कारण लाखों व्यक्तियों की भीड का दबाव बढता चला गया और महिला, बच्चे एवं पुरूष दबते कुचलते चले गये। भगदड में लगी चोटों से महिलाओं, बच्चों एवं पुरूषों की स्थिति मरणासन्न हो गयी। मौके पर मौजूद पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा हर सम्भव प्रयास करते हुए बमुश्किल लाखों की भीड के दबाव सेदब कुचलकर घायल/बेहोश हुए व्यक्तियों को उपलब्ध संसाधनों से अस्पताल भिजवाया गया किन्तु आयोजककर्ताओं एवं सेवादारों द्वारा कोई सहयोग नहीं किया गया। इस गम्भीर घटना के कारण अनेक लोग घायल हो गये तथा कई लोगों की मृत्यु हो गयी। घायलों को जनपद हाथरस, अलीगढ, एटा आदि के अस्पतालों में उपचार हेतु भिजवाया गया। घटना के सम्बंध में उच्चाधिकारियों को सूचित करते हुए राहत एवं बचाव कार्य हेतु अतिरिक्त पुलिस बल व संसाधनों की मांग की गयी। आयोजकर्ताओं के द्वारा कार्यक्रम में एकत्रित होने वाली भीड की संख्या को छिपाकर अत्याधिक लोगों को बुलाया गया था। साथ ही कार्यक्रम स्थल पर यातायात नियंत्रण हेतु आयोजक द्वारा अनुमति की शर्तो का पालननहीं किया गया। भीड के दबाव से बेतहाशा भाग रहे गिर पकडकर कुचल रहे लोगों को रोकने तथा इस घटना में घायल हुए व्यक्तियों के मौके पर छूटे सामान कपडे, जूता, चप्पल को उठाकर निकटवर्ती खेत में फसल में फेंककर साक्ष्य छिपाया गया। इस प्रकार आयोजकों एवं सेवादारों के उक्त

कृत्य से बडी संख्या में निर्दोष लोग मारे गये है तथा गम्भीर रूपसे घायल है।

2—वादी उपनिरीक्षक बृजेश पाण्डेय की उक्त तहरीर के आधार पर दिनांक 2—7—2024 को समय 22—18 बजे मुख्य सेवादार देव प्रकाश मधुकर एवं अन्य आयोजक व सेवादार नाम पता अज्ञात के विरूद्व मुकदमा अपराध संख्या 427 वर्ष 2024, अन्तर्गत धारा 105, 110, 126 (2), 223, 238 बी0 एन0 एस0 के अपराध में थाना सिकन्दराराऊ पर प्रश्नगत प्राथमिकी पंजीकृत हुई।

3—दौरान विवेचना, प्रार्थिया/अभियुक्तगण का नाम प्रकाश में आया तथा प्रकरण में धारा 132, 121 (1) बी0 एन0 एस0 एवं धारा 7 क्रिमिनल लॉ अमेण्डमेंट एक्ट की वृद्वि की गयी। प्रश्नगत प्रकरण में विवेचना प्रचलित है।

4—प्रश्नगत मामले में राज्य उत्तर प्रदेश की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता प्रथम, श्री रूपक चौबे उपस्थित है, जिनसे न्यायालय द्वारा यह प्रश्न किया गया कि प्रश्नगत घटना में कितने लोगों की जाने गयी है एवं प्रशासन की ओर से कितने पुलिसबल और यातायात पुलिसकर्मी तथा प्रशासनिक अधिकारीगण लगाये गये थे, जिसके उत्तर में श्री रूपक चौबे द्वारा अभिकथन किया गया कि आयोजकों द्वारा 80,000 हजार लोगों की भीड एकत्र होने की अनुमति मांगी गयी थी किन्तु दो से ढाई लाख श्रद्वालुओं की भीड एकत्र हो गयी थी। जी0 डी0 के अनुसार, 50 से 51 पुलिसकर्मी मौके पर तैनात किये गये थे। प्रश्नगत घटना में 121 लोगों की मृत्यु हुई है।

5—प्रश्नगत घटना अत्यन्त विदारक है, जिसमें दो से ढाई लाख श्रद्वालुओं की भीड एकत्र हुई थी और प्रशासन द्वारा 50 से 51 पुलिसकर्मी मौके पर तैनाते किये गये थे।

6—पूर्व में भी ऐसी तमाम घटनायें देखी गयी है कि ऐसे आयोजन में लाखो की भीड का जमावडा होता है, जिसमें देश व प्रत्येक प्रदेश से गरीब एवं अनपढ जनता एकत्र होती है जो मात्र श्रृद्वा एवं विश्वास के कारणों से अपना आपा खो देते हैं, जिससे भगदड मच जाती है और लोगों की असमायिक मृत्यु हो जाती है क्योंकि आयोजककर्ताओं द्वारा इस सम्बंध में समुचित व्यवस्था नहीं की जाती है जो उनके द्वारा की जानी चाहिए।

7—प्रश्नगत मामले में यह प्रश्न सोचनीय है कि आयोजनकर्ता अपने लाभ के लिए यह कार्य करते हैं, जिसमें भोली भाली जनता को बुलाया जाता है और समुचित व्यवस्था न होने के कारण ऐसी घटनायें घटित हो जाती है। जब कि इस सम्बंध में प्रशासन की जिम्मेदारी होती है कि वह देखे कि पुलिसबल, चिकित्सा आदि की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए परन्तु उपरोक्त के अभाव में सैकडो लोग अपनी जान गवां देते है लेकिन इसके बावजूद भी प्रशासनिक अधिकारी पिछली घटनाओं से कोई सबक नहीं लेते है।

8—वर्तमान मामले में कुछ ऐसा ही हुआ है, जिसमें 121 लोगों की जाने गयी है, जिसमें प्रथम द्वष्टया प्रशासनिक लापरवाही परिलक्षित होती है। अतः तत्कालीन जिलाधिकारी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जनपद हाथरस दिनांक **15—1—2025** को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर शपथपत्र के माध्यम से स्पष्ट करें कि जनपद हाथरस की घटना में जो 121 लोगों की जान जाने के लिए उनकी जवाबदेही क्यों न तय की जाए।

9—आगे जनपद प्रयागराज में कुम्भ 2025 का विशाल मेला माह जनवरी, 2025 से प्रारम्भ है, जिसमें करोड़ों श्रद्वालुओं के आने की सम्भावना है, जिसके इंतेजाम के लिए उत्तर प्रदेश शासन एवं केन्द्र सरकार पूरी तरह से मुस्तैद है और समय समय पर देश के प्रधानमन्त्री एवं उत्तर प्रदेश के मुख्य मन्त्री स्वयं जनपद प्रयागराज आकर के व्यवस्था को देखते हैं,

बावजूद इसके जिला प्रशासन व पुलिस प्रशासन यदि किसी भी प्रकार की बदइंतजामी करते है तो कोई बड़ी घटना घटित हो सकती है, इसलिए जिला पुलिस प्रशासन प्रयागराज को जनपद हाथरस की घटना से सबक लेकर जनपद प्रयागराज के कुम्भ वर्ष 2025 में समुचित व्यवस्था करने की आवश्यक्ता है, जिससे कि किसी भी नागरिक की जानमाल की हानि न हो सके। जनपद प्रयागराज का कुम्भ वर्ष 2025 जो कि विश्व का सबसे बड़ा मेला है, जिसके अच्छे ढंग से होने से उसका संदेश केवल भारत देश में ही नही बल्कि देश के बाहर भी उसका अच्छा उदाहरण पेश होगा।

10—तदनुसार इस वाद को दिनांक **15—1—2025** को नये वाद के रूप में प्रस्तुत किया जाए।

11—प्रश्नगत मामले में यदि कोई अंतरिम आदेश है तो वह इस वाद के अगली सूची बद्व होने तक प्रभावी रहेगा।

12—निबन्धक (अनुपालन) उच्च न्यायालय, इलाहाबाद को आदेशित किया जाता है कि वह इस आदेश की एक प्रति मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, हाथरस को अनुपालनार्थ उपलब्ध करायी जाए। साथ ही साथ यह भी आदेशित किया जाता है कि इस आदेश की एक प्रति गृह सचिव, उत्तर प्रदेश शासन को प्रेषित की जाए एवं एक प्रति जनपद प्रयागराज के जिलाधिकारी एवं कमिश्नर व पुलिस आयुक्त को भी उपलब्ध करायी जाए।

Order Date :- 6.1.2025
A.

Digitally signed by :-
AFAQ AHMAD
High Court of Judicature at Allahabad